न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–73/2010

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. श्रीमती सुनीता देवी गर्ग पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग पुत्री श्री रोशनलाल सिंहल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर हाल निवासी 307, स्कीम नं0 1, अलवर राज0 ।
2. श्रीमती शशिबाला उर्फ गुडिया गोयल धर्मपत्नी श्री राकेश गोयल पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल सिंहल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर हाल निवासी बी–64, हसन खां मेवात नगर, अलवर राज0 ।
3. सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. संजय पुत्र स्व0 श्री जगदीश निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. किरोड़ी मल पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. अशोक कुमार पुत्र प्रभूदयाल पौत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. अनिल कुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल पौत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. तुलसीराम पुत्र प्रभूदयाल पौत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. श्रीमती शांति बाई पत्नी मेहरचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
6. श्रीमती सुमित्राबाई पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
7. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रामलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
8. श्री बनवारीलाल पुत्र श्री रोशनलाल ।

..... असल प्रत्यर्थीगण

21.5.18

9. श्रीमती पुत्री रोशनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 – मृतक
9/1. सुनील कुमार पुत्र रूपचन्द नवासा रोशनलाल,
9/2. नरेन्द्र कुमार पुत्र रूपचन्द नवासा रोशनलाल,
9/3. छुट्टन पुत्र रूपचन्द नवासा रोशनलाल,
9/4. राकेश कुमार पुत्र रूपचन्द नवासा रोशनलाल निवासीयान पुन्हाना
9/5. रजनी देवी पुत्री रूपचन्द नवासी रोशनलाल निवासी लक्ष्मीनगर दिल्ली ।
10. ललता पुत्री रोशनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
11. कान्ता पुत्री रोशनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
12. सरोज पुत्री रोशनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
13. रामअवतार पुत्र मगनलाल महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
14. श्रीमती बादामी पत्नी जगदीश प्रसाद पुत्र वणु मगनलाल महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
15. उमादेवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
16. मंजू पुत्री जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
17. सविता पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
18. मधु पुत्री जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
19. डिम्पल पुत्री जगदीश प्रसाद महाजन जाति महाजन निवासीग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
20. मायादेवी पुत्री मगनलाल महाजन जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
21. सुभाष पुत्र विधादेवी नबीरा श्री कन्नीराम महाजन जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
22. राजू पुत्र विधादेवी नबीरा श्री कन्नीराम महाजन जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
23. करणदेवी पुत्री श्री कन्नीराम महाजन जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
24. रामकली पुत्री श्री कन्नीराम महाजन जाति महाजन निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

21.5.18

25. इन्द्रजीत पुत्र श्री मक्खनसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी प्रत्यर्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री धर्मपाल चौधरी अभिभाषक अपीलांट सं0 1 व 2
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक अपीलांट सं0 3, 4, 5
3. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
4. श्री विशम्भर दयाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3, 4
5. श्री भूपसिंह पोसवाल अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 25

::: निर्णय :::

दिनांक :–21.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 179 रकबा 0.25, 180 रकबा 0.56, 397 रकबा 0.38, 454 रकबा 0.09, 462 रकबा 0.89, 588 रकबा 0.43, 681 रकबा 0.39, 2015 रकबा 0.54, 2034 रकबा 0.40 है0 कुल किता 9 मुताबिक हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2058 जिनके साबिक ख0 नं0 135 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा, 287 रकबा 7 बिस्वा, 293 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा, 374 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा, 448 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा, 1379 रकबा 2 बीधा 3 बिस्वा, 1394 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के अनुसार विवादित आराजी के हाल ख0 नं0 135, 253, 287, 293, 374, 448, 1379, 1394, के साबिक ख0 नं0 342, 131, 132 मिन, 183, 95, 66 मिन, 390, 1212 मिन, 1218, थे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 यानि सम्वत् 2012 में लागू हुआ उस समय विवादित आराजी के गैर खातेदार काबिज काश्तकार वादी सं0 1 के पिता तथा वादी सं0 2 ल0 4 के दादा श्री रामजीलाल पुत्र श्री बालूराम उर्फ बाल मुकुन्द महाजन साकिन मुबारिकपुर थे जो मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में सदैव काश्त की तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण नियमित काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद से ही विगत 53 सालों से उक्त आराजी पर वादीगण व उनके बुर्जुगान का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है । विवादित आराजी पर किसी भी दीगर शख्स व प्रतिवादी द्धारा वादीगण को उक्त वर्णित आराजी पर काश्त करने से नहीं रोका गया तथा वादीगण, प्रतिवादीगण की जानकारी व उपस्थिति में उक्त वर्णित आराजी पर खुल्लम खुल्ला काबिज जोकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को प्रारम्भ से ही है । सवत् 2020 में प्रतिवादीगण द्धारा बन्दोबस्त व राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत करके मौका व रेकार्ड के खिलाफ वादीगण के बुर्जुगान रामजीलाल वल्द बालूराम उर्फ बालमुकुन्द महाजन का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कलमजन करावाकर अपने नाम का अमल दरामद करा

21.5.18

लिया जो अंकन वादीगण के अधिकारों के प्रति बातिल, बेअसर शून्य प्रभावी व ना काबिल पाबन्दी है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । अतः वादीगण का वादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 29.6.2009 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 29.6.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण/असल प्रत्यर्थी द्धारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करते समय वादी सं0 1 व 2 की बहिन व वादी सं0 2 ल0 4 की सगी बुआजी श्रीमती रमा देवी बेवाह श्री दुर्गाप्रसाद व श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री रामकिशोर का देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिसान उनके चार पुत्र तथा पुत्री को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया । साथ ही वादीगण/असल प्रत्यर्थीगण द्धारा मगनलाल के पुत्र जगदीश के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया तथा उसके बाकी वारिसान को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया । इसी प्रकार वादीगण/असल प्रत्यर्थीगण कन्नीराम की दो पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया लेकिन तीसरी पुत्री श्रीमती विधादेवी की एक पुत्री गुडिया को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया तथा उसके दोनों पुत्रान को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया । वाद के उपचरण सं0 सी. व डी. में अंकित किये गये अनुसार वादीगण / असल प्रत्यर्थीगण द्धारा अपने द्धारा प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार मुकदमा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया जबकि वादीगण / असल प्रत्यर्थीगण को अपील के उप चरण में वर्णित वारिसान की प्रारमभ से ही जानकारी नहीं है जिससे वाद वादीगण असल प्रत्यर्थीगण नोन ज्वाईण्डर ऑफ नेससरी पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण उसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय में जा वाद दायर किया उसमें आराजीयात कस्टोडियन की आराजीयात है जिनकी बाबत खातेदारी अधिकार वादीगण / असल प्रत्यर्थीगण को दिये जाने का व उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्धारा कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी वादीगण/असल प्रत्यर्थीगण के साथ मिल्लत करके तथा उनके साथ साजबाज होकर अपीलार्थीगण व तर0 प्रत्यर्थीगण को बेजा नुकसान पहूंचाने तथा असल प्रत्यर्थीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया । असल प्रत्यर्थीगण सं0 4 ल0 7 अपने साथ 5–7 व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और आते ही अपीलार्थीगण व तर0 प्रत्यर्थीगण को कहां कि उन्होंने वादीगण असल प्रत्यर्थीगण सं0 1 ल0 4 से आराजी हाल ख0 नं0 2015 साबिक ख0 कनं0 1379 साबिक नं0 1212 मिन सालिम को जर्ये बयनामा तहरीरी दि0 28.6.2010 पंजीयन दि0 28.6.2010 कार्यालय उप पंजीयक रामगढ़ के खरीद कर लिया है और अपीलार्थीगण को यह धमकी दी कि वे अपीलार्थीगण व तर0 प्रत्यर्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर उस पर कब्जा करेंगे । असल प्रत्यर्थीगण सं0 1 ल0 4 द्धारा

21.5.18

असल प्रत्यर्थीगण सं0 5 ल0 5 के हक में आक्षेपित निर्णय व डिक्री की आड़ में कराया गया बयनामा अपीलार्थीगण के हक, हकूकों के विपरित बातिल, बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी व शून्य प्रभावी करा दिये जाने योग्य है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अभिभाषक ने टी.पी.एक्ट के प्रावधानों को बताते हुए कानूनी नजीर आर. आर.डी. 1989 पेज 224 का हवाला दिया । निष्क्रान्त भूमि के संबंध में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर कानूनी नजीरें आर.आर.डी. 1983 पेज 429, आर.एल.आर. 1991 (1) पेज 560 का हवाला दिया । हितबद्ध पक्षकार को सुनने के संबंध में कानूनी नजीर आर.बी.जे. 2015 पेज 474 का हवाला दिया ।

विद्धान अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 श्री जगदीश चन्द सतीजा ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 8 बनवारीलाल जी तहत न्यायालय में पक्षकार थे । पेशें से वकील हैं । इकबाल दावा इनकी ओर से ही पेश किया गया था । तहत न्यायालय में दावा इनकी राय से दर्ज किया गया । आराजी बिकने के बाद अपील की गई है । तहत न्यायालय में जो नकले लगी है वो इन्ही वकील साहब ने प्राप्त करके अपीलांट को दी हैं । तहत न्यायालय में बनवारीलाल जी ने स्वयं नकले ली । यदि तहत न्यायालय में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है तो तहत न्यायालय में इन्हें पक्षकार बनाने के लिए बनवारी लाल स्वयं कह सकते थे । इकबाल दावा का मतलब दावा सही माना है । अब इन्हें कोई अधिकार नहीं हैं । दावे में सब कुछ तय हो गया । डिक्री, इज़राय, बेचान तथा पालना भी हो चुकी है । किसी अन्य पक्षकारों को भी अपील की जानकारी नहीं है । अपील में किसी प्रकार का स्थगन था तो उसकी कोई जानकारी नहीं थी । अतः बिना जानकारी के टी.आई.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और न ही राजस्व रेकार्ड में इसका अंकन था । किसी भी राजस्व रेकार्ड में स्थगन का अमल नहीं है तथा न ही स्थगन की जानकारी है । हमारी तामिल नहीं हुई इसलिए हमें स्थगन का पता नहीं है । इसलिए टी.पी.एक्ट लागू नहीं होता है । इन्होंने इस आराजी के बाबत सिविल न्यायालय में भी दावा कर रखा है । रजिस्ट्री को नल एण्ड वोईड कराने का दावा है । हम बोनाफाईड परचजेर हैं । तत्समय किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की कि जमीन कस्टोडियन है । हम बोनाफाईड परचेजर हैं तथा अलग जाति के हैं तथा राशि देकर आराजी क्रय की है । आज इनके बेईमानी आ गयी है । इसके साथ ही अपीलांट यहां के रहने वाले नहीं है । विवादित आराजी पर कब्जा क्रेतागण का ही है । सन् 1963 के एक्ट के अनुसार कस्टोडियन नोटिफाईड भूमि ही है, ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है कि यह जमीन एक्वायर सम्पति की आराजी हो । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही हैं । उन्होंने अपने समर्थन में 1988 आर.आर.डी. पेज 279, आर.आर.डी. 1986 पेज 569 व 2006 आर.आर.डी. पेज 558 प्रस्तुत किये ।

विद्धान अभिभाषक श्री विशम्भर दयाल प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 ने बहस में निवेदन किया कि दावा करने वाले व ऐतराज करने वाले दोनों अभिभाषक साथ–साथ हैं । जब इकबाल दावे में श्री बनवारीलाल का नाम है, शपथपत्र है और अपील में इनके लोग ही कह रहे हैं कि इकबाल दावा फर्जी तैयार किया है । ये अपील में अपने तथ्य में कहते हैं तो क्या फर्जी इकबालदावे के आधार पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है । किसी दस्तावेज को एक्जीविट कराया है । इकबाल दावे में इन्होंने सभी तथ्यों को स्वीकारा है । जमाबन्दी सम्वत्

21.5.18

2013 इसमें रामजीलाल गैर खातेदार बोल रहा है । इन्होंने मुख्य बिन्दु इवेक्यू प्रोपर्टी का बताया है तो इसका भी जवाब दिया जा रहा है । अब वही बनवारीलाल जी उसी डिक्री को चैलेन्ज कर रहे हैं वो कैसे । अपीलांट स्वयं को हिस्सेदार मान रहे हैं तो क्या डिक्री निरस्त होती है तो उन्हें क्या मिलेगा ? अपीलांट की मंशा ठीक नहीं है । इनका आपस में लेनदेन का विवाद है । जब पुनः पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो डक्री की अपील करवा दी जबकि वादीगण को सभी को जानकारी थी । इकबाल दावा पेश किया है । अपने अधिकारों के लिए इन्होंने दावा सिविल न्यायालय में भी कर रखा है तो रजिस्ट्री निरस्त होने पर ही इनके अधिकार तय होगें । सन् 2006 के बाद तो उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम अथोरिटी है । इसलिए अपील के इस जमीन पर समस्त अधिकार आधारहीन है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में नोटिफिकेशन दि0 22.9.2008 की प्रति पेश की ।

नोन ज्वाईण्डर ऑफ पार्टीज के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक का जवाब बहस में कथन है कि इसमें दावा खारिज नहीं होता है, चाहे तो वे अपने अधिकारों के लिए अलग से दावा पेश कर सकते हैं । इस संबंध में कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2005 पेज 558 का हवाला दिया ।

कस्टोडियन एक्ट 2006 में रिपील होने से अपीलांट का तर्क कानून सम्मत नहीं है । कानूनी नजीर का हवाला दिया । यह भी कहा कि कानूनन लम्बे समय से गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं । इसलिए अपील काबिल खारिजी के हैं ।

अभिभाषक असल अपीलांट सं0 2, 3, 4 के श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल ने जवाब प्रतिउत्तर में बताया कि श्री विशम्भदयाल अभिभाषक रेस्पो0 का यह कहना कि ये निष्क्रान्त भूमि नहीं है जबकि इनके रेकार्ड के अनुसार ही यह निष्क्रान्त भूमि ही है । कस्टोडियन भूमि लिखा हुआ है । रिपील के संबंध में इन्होंने कुछ भी नहीं खोला है । ये तो केवल सैटलमेन्ट में दुरूस्ती की रिलीफ चाह रहे हैं । मगनलाल का नाम हटाकर दावे में खातेदारी चाही है । जबकि कस्टोडियन को हटाकर कहीं खातेदारी नहीं चाही है । मगनलाल के वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिए तथा हमें भी प्राकृतिक न्याय के तहत पक्षकार बनाया जाना चाहिए । हम मगनलाल के पौते हैं । हम किसी ओर से बाध्य नहीं है । मेरे अधिकार किसी के इकबालदावा निरस्त नहीं होते हैं । क्या बनवारीलाल ने यहां कोई अपील की है ? क्या बनवारीलाल व इकबाल दावा से हमारे हक समाप्त होते हैं, क्या पावर ऑफ अटार्नी है ? बयनामों को निरस्त कराने का हमने तो सिविल न्यायालय में दावा नहीं किया । एक या दो नम्बर के अपीलांट ने दावा कर रखा है तो उसका भी पता नहीं है । बयनामा के सही होने या नहीं होने का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा । हमारा मुख्य कथन है कि हमें क्या पक्षकार बनाया है ? क्या हमें सुना गया है ? सैक्शन 58 साक्ष्य अधिनियम से हम बाध्य नहीं है । अतः तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें ।

सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय की अनेक नजीरों में दफा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए निस्तारण करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । ऐसी स्थिति में

21.5.18

अपीलांट के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील अन्दर शुमार की ज़ाती है ।

हमने अपील के तथ्यों तथा दावा व इकबाल जवाब दावा के तथ्यों का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.6.2009 का भी गहराई से अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषगण की बहस पर गौर किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया । धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया ।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस में निम्न कानूनी बिन्दू भी उभरकर आये हैं –

1. क्या विवादित आराजी कस्टोडियन थी ? क्या राजस्व न्यायालय को इस आराजी पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार था ?
2. क्या इकबाल दावा फर्जी था जिसके आधार पर प्रतिवादी ने वादी के वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है ?
3. क्या वाद वादी ने बन्दोबस्त विभाग द्धारा गलत इन्द्राजों के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित करवाया है ?
4. क्या अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है ?
5. क्या बयनामा जिनको सिविल न्यायालय में नल एण्ड वोईड घोषित करने हेतु चुनौती दी गई है राजस्व न्यायालय द्धारा उन पर निर्णय कर सकता है ?

उक्त बिन्दुओं के आधार पर अपील अपीलांट का निर्णय विवेचन उपरान्त किया जा सकता है ।

1. जहां तक विवादित आराजी के कस्टोडियन होने का प्रश्न है, रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आराजी कस्टोडियन थी । क्षेत्राधिकार का जहां तक प्रश्न है । यह सही है कि 2006 रिपील एक्ट से पूर्व कानूनी नजीरों के मध्यनजर कस्टोडियन के प्रकरणों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी को नहीं था परन्तु 2006 के उपरान्त सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दे दिया था । ऐसे प्रकरणों में खातेदारी अधिकार के लिए सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी की अदालत में दावा पेश किया जा सकता है । रेस्पो0 की कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2006 पेज 558 जिसमें अन्य कानूनी नजीरों आर.आर.डी. 1988 पेज 279 का भी हवाला है, के अनुसार भी नियमित वाद को सक्षम न्यायालय में पेश किया जा सकता है । अतः दिनांक 27.10.2008 के संस्थित वाद को उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है ।
2. जहां तक इकबाल दावा के फर्जी होने का प्रश्न है । अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य या रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सकते कि इकबाल दावा फर्जी है । न्यायालय द्धारा इकबाल दावे को भी निर्णय का आधार बनाया है ।
3. तहत न्यायालय का रेकार्ड का परीक्षण करने तथा इकबाल दावे के तथ्यों के आधार पर यह पाया है कि विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत् 2020 से पूर्व वादीगण के पिता व दादा रामजीलाल महाजन की खातेदारी में थी और न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर यह पाया कि बन्दोबस्त ने अपीलांट के पिता व दादा रामजीलाल का नाम कलमजन करके प्रतिवादी के पिता रोशनलाल वगैरा के नाम आराजी रेकार्ड में दर्ज कर दी । रेस्पो0 जो कि

21.5.18

रोशनलाल, जगदीश वगैरा के वारिसान हैं, ने यह इकबाल दावा देकर स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रामजीलाल व उसके वारिसान का रहा है तथा बन्दोबस्त ने रोशनलाल, जगदीश वगैरा के नाम गलत इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में कर दिये । कानूनन बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी को कलमजन करने या किसी के नाम गलत इन्द्राज करने का कानूनी अधिकार नहीं है । अतः तहत न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर सही निर्णय पारित किया है ।

4. जहां तक अपीलांट को सुना जाने का प्रश्न है । अपील में भी इनका मुख्य आधार यही है कि वे रोशनलाल, जगदीश वगैरा के वारिसान हैं और उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है । कानूनन यह सही है कि न्यायालय द्वारा किसी की खातेदारी समाप्त की जाती है तो उस खातेदार को सुना जाना आवश्यक है परन्तु इस प्रकरण में रेकार्ड में रोशनलाल, जगदीश वगैरा के फुटस्टेप पर अपना दावा कर रहे हैं । इस संबंध में न्यायालय का मत है कि साक्ष्य वह उत्तम मानी जाती है जिसमें प्रतिवादी या वादी दूसरे के तथ्यों को स्वीकार कर लेता है । यहां पर रोशनलाल, मगनलाल, जगदीश, कन्हींराम महाजन के वारिसान द्वारा इकबाल जवाब दावा द्वारा यह स्वीकार किया है कि बन्दोबस्त ने प्रतिवादी के पक्ष में गलत इन्द्राज दर्ज किये हैं जबकि विवादित आराजी पर सम्वत् 2012 से रामजीलाल व उसके वारिसान ही काबिज काश्त रहे हैं । इस प्रकार से जब अपीलांट के भाई बहिन व परिवारजन ही वादी के दावा के तथ्यों, कब्जे काश्त को स्वीकार कर रहे हैं तो अपीलांट को किस आधार पर कब्जे काश्त में मान सकते हैं । रेकार्ड में उनका अंकन भी नहीं है । वादी ने ते अपने वाद से बन्दोबस्त के गलत इन्द्राजों को दुरूस्त करवाया है जो कानूनन सही भी है । अतः अपीलांट का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं बनता है । अतः तहत न्यायालय ने कानूनी विवेचन करके जो निर्णय पारित किया है, वह कानून सम्मत है ।

5. बयनामा के जहां तक नल एण्ड वोईड घोषित करने का प्रश्न है । यदि शुरू से ही विधि विरूद्ध है तो राजस्व न्यायालय को भी उन्हें नल एण्ड वोईड घोषित करने का अधिकार है, परन्तु यहां अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में भी उक्त बयनामें को निरस्त करने का वाद पेश किया हुआ है । अतः सिविल न्यायालय उक्त बयनामा को निरस्त नहीं कर देते है तब तक अपीलांट कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।

6. एक बिन्दू यह भी है कि रेकार्ड अवलोकन से व बहस से सामने आया है कि अपीलांट ने अपील में जो रेकार्ड बयनामा, रसीद से संबंधित पेश किया है उसकी नकल भी श्री बनवारीलाल महाजन द्वारा प्राप्त की है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि यह परिवारीजन की सहमति से अपीलांट ने अपील इतने दिनों बाद पेश की है ।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2009 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.5.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर